हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

6/2/17 आज रोज पत्रावली पेश मौके हुई दिनांक पेश
पेश हुई उक्त पत्रों के आधार. का उपरोक्त
पत्रा. के उपलब्ध रिकार्ड व राजस्व नक्शा का
अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व नक्शा व
जमाबन्दी [illegible] वाक्या का पद [illegible]
किया जाता है [illegible] [illegible] आवश्यक [illegible]
जाकर आ. पत्रावली का मौके मौके पर [illegible] [illegible]
पत्रा. नम्बर 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] नो वाले

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/कैम्प कोर्ट) कैम्प.......इकरोटिया

पीठासीन अधिकारीः– विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

सुनील आदि..................बनाम.................रामस्वरुप आदि

दावा बाबत..... इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज बमय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राकाअधि01955

मुकदमा नम्बर :– 189/25.08.2017
निर्णय दिनांकः– 06.07.2017

वादी की ओर से. वादी वकील की व प्रतिवादी की ओर से. प्रतिवादी वकील व पैरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 06.07.02017 को मुझ विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– विवादित आराजी खसरा नम्बरान 187/0-08, 533/0-09, 5690-02, 572/0-02, 573/0-01, 1065/0-04, 1070/0-01, 1072-0-03, 1076/0-04, 1077/0-05, 1081/0-08, 1082/0-10, 1086/0-05, 1087/0-05, 1090/0-07, 1198/186/1-00 कुल किता 16 कुल रकबा 4–14 बीघा वाके मौजा पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अल वर राज0 का वादी 1 को अपने पिता दुलीचन्द के 1/5 हिस्सा में 1/4, तरतीबी प्रतिवादी को 1/4, पूनम पुत्री दुलीचन्द को 1/4, ममता पुत्री दुलीचन्द को 1/4, तथा असल प्रतिवादी दुलीचन्द को 1/4, वादी सं0 2 के पिता फकीरचन्द के 1/5 हिस्सा में से 1/5 वादी पवन को तथा तरतीबी प्रतिवादी चिन्टु को 1/5, बिन्टी को 1/5, बुल्लु को 1/5 असल प्रतिवादी फकीरचन्द को 1/5 का, असल प्रतिवादी जगराम के 1/5 हिस्से में से तरतीबी प्रतिवादी दिनेश को 1/5 हिस्से, उदयभान पुत्र जगराम को 1/5 हिस्सा, जागो पुत्री जगराम को 1/5 हिस्सा, लीली पुत्री जगराम को 1/5 हिस्सा तथा स्वय जगराम को 1/5 हिस्सा, असल प्रतिवादी प्रकाश के 1/5 हिससें में से बलराम पुत्र प्रकाश को 1/3 भाग, रेखा पुत्री प्रकाश को 1/3 भाग, स्वय प्रकाश को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार वाके ग्राम पाटनअहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्से तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 1065, 1072, 1076, 1077/0-05, 1081, 1082, 1086, 1087, 1090 के बयनामा की प्रविष्टियों वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्से तक को शून्य करार दिया जाता है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्से तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 से 22 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की अक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखतल पैदा ना करें। मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखें। इन्द्राय से पूर्व बैंक का लोन चुकता किया जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर कैम्प में सुनाया गया।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख....06.07.2017...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.......इकरोटिया

Scanned by CamScanner